न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 84/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. रमेशचन्द्र उर्फ रामे वरलाल पिता श्री अर्जुनलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. महेशचन्द्र पिता श्री अर्जुनलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भगवतीलाल पिता श्री भेरूलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) वल्लभनगर
दिनांक 20.03.17 प्रकरण सं. 38/16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री सुरे ा त्रिवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 18–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीण्डर में आराजी नंबर 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेखों में वादीगण, प्रतिवादी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसका आज दिनांक तक कानूनन विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी उक्त आराजियात पर जबरन निर्माण करने पर उतारू है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. क[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

विवादित आराजी में वादीगण का 53/168 हिस्सा, प्रतिवादी का 2/168 हिस्सा तथा भोश रकबा अन्य सहखातेदारों का हिस्सा दर्ज है। वादीगण ने विवादित सम्पूर्ण आराजी पर स्थायी निशेधाज्ञा चाही है, जबकि विवादित आराजी का 51/168 हिस्सा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर राजस्व अभिलेखों में नगर पालिका भीण्डर के नाम दर्ज है, जिससे उक्त भूमि बाबत् किसी प्रकार का अनुतोश राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रतिवादी का आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

वादीगण द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि राजस्व नक ो में कहीं पर भी यह स्पश्ट नहीं हो रहा है कि आवासीय प्रयोजनार्थ का अंकन किस भूमि से संबंधित है। वादीगण का वाद किसी भी तरह विधि बाधित नहीं है। अतः प्रतिवादी का आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–03–2017 से प्रतिवादी का आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 24–05–2017 को हुई। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगत न्यायहित में सयाद: कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी का कुछ हिस्सा रूपान्तरित हो चुका है, लेकिन जूज हिसा राजस्व रेकार्ड में कृशि प्रयोजनार्थ ही अंकित होने से राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है, किन्तु माननीय न्यायालय ने त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए इस स्टेज पर वादीगण का वाद खारिज करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय समस्त साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में विवादित आराजी नंबर 3002 रकबा 19 बिस्वा में 51/168 हिस्सा नगर पालिका भीण्डर के नाम दर्ज है। अपीलान्ट/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब में उक्त इन्द्राज को अवैध एवं भून्य प्रभावी होना बताया है, किन्तु यदि उक्त इन्द्राज अवैध था तो उसे इसके लिए सक्षम न्यायालय से चाराजोही करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–03–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रमे ाचन्द्र उर्फ रामे वरलाल पिता श्री भैरूलाल
अजुनलाल ब्राहमण, निवासी भीण्डर, वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

भगवतीलाल पिता श्री
ब्राहमण, निवासी भीण्डर, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

अपील नं.....**84 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत....**सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)** ..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....20**.....माह.....**03**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री सुरे ा त्रिवेदी.**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पन्नालाल मारू**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–03–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:52 IST
Reason: SelfAttested